न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 36 / 2024

वादीगण :—

1. ओमप्रकाश राठौड पुत्र किशनाराम जाति खारडिया सीरवी निवासी बेरा मालजी का पीपलिया जोधपुर रोड बिलाडा तहसील बिलाडा
2. चेतनप्रकाश सीरवी पुत्र जोगाराम जाति खारडिया सीरवी निवासी एलआईसी ऑफिस के पास, कागों का मगरिया बिलाडा तह.बिलाडा
3. शेषाराम पुत्र भंवरलाल जाति खारडिया सीरवी निवासी पोमावतों का मगरिया, बाण गंगा पुल के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
4. संगीता पटेल पुत्री जवाहरलाल पटेल जाति पटेल निवासी बेरा सांगरो का मगरिया, 220 केवी बिजलीघर रोड बिलाडा तहसील बिलाडा
5. श्रवणराम पुत्र गुमनाराम जाति खरोल खारवाल निवासी पिचियाक तहसील बिलाडा

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. बाबुलाल पुत्र कूलराम खारोल खारवाल
2. भुण्डीदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासीगण पिचियाक तह. बिलाडा
3. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :— वादी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या— 1 व 2 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता,
प्रतिवादी संख्या —3 सरकारी पैरोकार।

<u>निर्णय</u> **दिनांक :—** 13/04/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुदा जमीन ग्राम पिचियाक की राजस्व सीमा में खसरा सं. 990/472 रकबा 3.1228 हैक्टयर स्थित है। जिसमें वादी सं. 1 का 8009/74112 हिस्सा, वादी सं. 2 का 8009/74112 हिस्सा, वादी सं. 3 का 8009/74112 हिस्सा, वादी सं. 4 का 8009/74112 हिस्सा वादी सं. 5 का 799/18528 हिस्सा आता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का 325/772 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 20/193 हिस्सा स्थित है। इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि खसरा सं. 472/6 रकबा 0.4126 हैक्टेयर किस्म नहरी सोयम स्थित है, जिसमें वादी सं. 1 का 3/28 हिस्सा, वादी सं. 2 का 3/28 हिस्सा, वादी सं. 3 का 3/28 हिस्सा, वादी सं. 4 का 3/28 हिस्सा वादी सं. 5 का 1/14 हिस्सा आता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा स्थित है। उक्त खसरान की भूमि को आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के खाता सं. 755 व 631 पेश है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर अलग—अलग काश्त व उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं किया गया है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार माप व सीमा ज्ञान कर बंटवाड़ा किया जाकर कानूनन राजस्व रेकर्ड बंटवाड़ा करवाना चाहते है। वादीगण अपने हिस्से को अलग करवाकर भूमि में सुधार कार्य करवाकर जमीन को उपजाऊ व कीमती बनाना चाहते है। वादीगण व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा बाबत् प्रस्ताव कई बार रखा लेकिन किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर टालम टोल करते रहे। वादीगण ने दिनांक 26—03—2024 को हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर अलग—अलग दर्ज करवाने की बात प्रतिवादी सं. 1 को कहा तो प्रतिवादी सं. 1 ने बंटवाड़ा करने से मना कर दिया। वादीगण को राजस्व रेकर्ड में हिस्से अनुसार खातेदारी एवं कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने का पूर्णरूप

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसलिये वाद बंटवाड़ा पेश है। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। मौके पर नाप चौप कर आपसी सहमति से पक्षकारों द्वारा बंटवाड़ा किया हुआ है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जाना शेष है। वादीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि का वादीगण को जबरदस्ती उपयोग व उपभोग नहीं करने देगें तथा किसी भी सूरत में राजस्व रेकर्ड व मौके पर बंटवाड़ा नहीं होने देगे, ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इसलिये वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखल अन्दाजी उत्पन्न नहीं करें जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा के हमेशा के वास्ते रोका जाना जरूरी है। इसलिये वाद बाबत् स्थाई निषेद्याज्ञा का पेश है। वाद कारण दिनांक 26–03–2024 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को मौके पर स्थित हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग दर्ज कराने की बात करने पर व प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा करने से मना करने पर ग्राम पिचियाक में उत्पन्न हुआ। राजस्व भूमि ग्राम पिचियाक में स्थित होने से न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तथा वाद अन्दर मियाद पेश है।

अतः वादीगण द्वारा वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वाद के पद सं. 1 एक में वर्णित वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ट्स बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा अलग–अलग किया जावें तथा लगान अलग–अलग किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराया जायें। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वाद के पद सं. 1 एक में वर्णित वादग्रस्त भूमि में स्थित वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण व उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि को हमेशा के वास्ते जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से रोका जावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 व 2 से दिलाया जावें। अन्य अनुतोष जो वादीगण पाने के अधिकारी हो अता फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 27.08.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 990/472 रकबा 3.1228 हैक्टयर में वादी सं. 1 के 8009/74112 वां हिस्से, वादी सं. 2 के 8009/74112 वां हिस्से, वादी सं. 3 के 8009/74112 वां हिस्से, वादी सं. 4 के 8009/74112 वां हिस्से, वादी सं. 5 के 799/18528 वां हिस्से व प्रतिवादी सं. 1 के 325/772 वां हिस्से, प्रतिवादी सं. 2 के 20/193 वां हिस्से तथा खसरा नम्बर 472/6 रकबा 0.4126 हैक्टयर में वादी सं. 1 के 3/28 वां हिस्से, वादी सं. 2 के 3/28 वां हिस्से, वादी सं. 3 के 3/28 वां हिस्से, वादी सं. 4 के 3/28 वां हिस्से, वादी सं. 5 के 1/14 वां हिस्से व प्रतिवादी सं. 1 के 1/2 वां हिस्से का वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
	ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम जाति सीरवी 1/4 चेतनप्रकाश पुत्र जोगाराम जाति सीरवी 1/4 शेषाराम पुत्र भंवरलाल सीरवी 1/4 संगीता पुत्री जवाहरलाल जाति पटेल 1/4 हिस्सा सा.बिलाडा खातेदार	900/472 900/472 472/6	0.6395 0.6792 0.2063

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

	कुल खसरा	3	1.5250
2	श्रवण कुमार पुत्र गुमनाराम जाति खारोल सा.देह खातेदार	900/472	0.1618
	कुल खसरा	1	0.1618
3	बाबुलाल पुत्र कालूराम जाति खारोल 49/89 हि. भूण्डीदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट 40/89 हि. सा देह खातेदार	900/472	0.7200
	कुल खसरा	1	0.7200
4	बाबुलाल पुत्र कालूराम जाति खारोल सा देह खातेदार	900/472 472/6	0.9143 0.2063
	कुल खसरा	2	1.1212
5	ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम जाति सीरवी 1/8 चेतनप्रकाश पुत्र जोगाराम जाति सीरवी 1/8 शेषाराम पुत्र भंवरलाल सीरवी 1/8 संगीता पुत्री जवाहरलाल जाति पटेल 1/8 हिस्सा बाबुलाल पुत्र कालूराम जाति खारोल 1/2 हिस्सा	900/472	0.0080
	कुल खसरा	1	0.0080

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18.10.2024 के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 18.10.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**
ओमप्रकाश वगैराह बाबूलाल वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 36 / 2024

निर्णय **दिनांक :–** 13/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 18.10.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते